

बिहार सरकार
गृह (आरदी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई, 2013

पत्र संख्या—1/एल1-10-13/2013 गृ0आ० /श्री एम0आर० नाथक, भा०पु०से०, पुलिस उप—महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को अखिल भारतीय सेवारं (छुटटी) नियमावली—1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.05.2013 से 05.06.2013 तक कुल—15 (पञ्चह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नाथक के अवकाश अवधि में पुलिस उप—महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप—महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
इ०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक—1/एल1-10-13/2013 गृ0आ० /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इ०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—1/एल1-10-13/2013 गृ0आ० /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लै० एवं इ०), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इ०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—1/एल1-10-13/2013 गृ0आ० ३१५३ /पटना, दिनांक २२ मई, 2013
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह भौत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री एम0आर० नाथक, भा०पु०से०, पुलिस उप—महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/ पुलिस उप—महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।